झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग।

पत्र संख्या– वा0कर1/विविध/22/2010 – 3656 / राँची, दिनांक – 29/11/12

प्रेषक,

मस्त राम मीणा,
सचिव–सह–आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/(वैट ऑडिट)/(अपील),
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।

विषयः– झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम **3B** के अधीन प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियम 42 (2) के अधीन ऑनलाईन घोषणा पत्र **JVAT 504G** के निर्गमन हेतु प्रकिया विहित करने के संबंध में।

प्रसंगः– झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम **3B** तथा नियम **42 (2) (3)** एवं **(4)** ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विभागीय e-governance के अधीन विभागीय प्रकियाओं को सरलीकृत, स्वतः स्फूर्त, राजस्वोन्मुखी तथा व्यवसायी अनुकूल (Traders' friendly) बनाने के उदेश्य हेतु वाणिज्य–कर विभाग द्वारा विभिन्न ऑनलाईन योजनाएं यथा– Online Registration, Online Filing of Returns, Online Payment of Taxes, Online Issuance of "C" Form जैसी योजनाएं प्रारंभ की जा चुकी है।

उसी कम में व्यवसायियों की सुविधा हेतु दिनांक 01.12.2012 के प्रभाव से घोषणा पत्र रोड परमिट (JVAT 504G) की ऑनलाईन निर्गमन योजना अनिवार्य रूप से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने हेतु व्ययवसायियों का अद्यतन ऑनलाईन कर विवरणी दाखिल करना तथा अद्यतन कर का भुगतान होना आवश्यक है।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 74 तथा उक्त के कर्यान्चयन हेतु झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 3B के अधीन प्रदत्त शक्ति के आलोक में घोषणा पत्र रोड परमिट (JVAT 504G) की ऑनलाईन निर्गमन की प्रकिया निम्नवत् विहित की जाती हैः–

- व्यवसायी द्वारा विभागीय वेबसाईट **http://jharkhandcomtax.gov.in** पर उपलब्ध e-services menu के Dealer's Portal (e-return) में click करना।
- निबंधित व्यवसायी का अपने TIN एवं Password की सहायता से login करना
- e-Road Permit Menu का चयन करना।
- e-Road Permit Key Number Generation हेतु विवरणी भरना।
- प्रेषिती व्यवसायी (Consignee) का नाम (Style of Business सहित), TIN, मोबाईल, ईमेल, पता स्वतः अंकित होना।
- e-Road Permit Key की प्रविष्टियों को भरने हेतु व्यवसयी को Add Button click करना।
- तदोपरांत प्रेषक व्यवसायी (Consignor) का विवरण TIN, Name, Style of Business, Details Address, Mobile No., e-mail address, Place of delivery का विवरण भरनाा।
- प्रेषक व्यवसायी (Consignor) के अनिबंधित होने की स्थिति में निम्न **TIN "99999999999"** का स्वतः अंकित होना।

- तदोपरांत Save एवं Next button दबाने से Unique Road Permit No. संबंधित विवरण के साथ Screen पर दिखेगा। संबंधित विवरण में वस्तु के नाम का चयन commodity list से किया जा सकेगा।
- वस्तु के नाम के अतिरिक्त Quantiy, Price, No. of Packages, कुल राशि का विवरण भरना होगा।
- तदोपरांत संबंधित डाटा को Save कर Submit button दबाना होगा। Submit button दबाने के उपरांत संबंधित विवरण Consignor के approval हेतु प्रेषित हो जाएगी।
- विभागीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक Unique Road Permit Key Number एवं Secret Code Generate होगा जो Consignor के मोबाईल पर प्रेषित होगा।
- Consignor विभागीय वेबसाईट http://jharkhandcomtax.gov.in के Dealer's Portal (e-return) पर Click करेगा तथा जिससे "e-road permit link" खुलेगा।
- Consignor को अपने मोबाईल से प्राप्त Unique Road Permit Key Number एवं Secret Code की सहायता से Login करना है।
- प्रेषक (Consignor) व्यवसायी, Dispatch of Goods, Invoice No. & Date तथा Transporter-Details भरेगा। तदोपरांत Save तथा Submit button दबाने के उपरांत Consignor संबंधित विवरण को सुधार नही सकता है।
- उक्त प्रकिया पूरी करने के उपरांत Consignor द्वारा e-Road Permit (JVAT 504G) का प्रिंटआउट (Annexure सहित) निकाला जा सकता है। ऐसे Self Generated Road Permt का प्रिंटआउट निकालकर राज्य में माल का परिवहन (आयात) किया जा सकता है।
- ऐसे परिवहित माल प्राप्त होने के उपरांत राज्य के व्यवसायी (Consignee) द्वारा अपने User ID एवं Password की सहायता से Dealer's Portal (e-return) में Login कर वस्तु (विस्तृत विवरण सहित) के प्राप्त होने की घोषणा करना अपेक्षित है।
- उक्त Process flow का विस्तृत विवरण Screen-shot सहित संबंधित **User Manual E-Road Permit** पर देखा जा सकता है।
- ऐसे ऑनलाईन निर्गत रोड परमिट (JVAT 504G) का सत्यापन विभागीय पोर्टल http://jharkhandcomtax.gov.in के माध्यम से किया जा सकेगा।

2. 1,दिसम्बर, 2012 के पूर्व निर्गत किए गए Manual रोड परमिट (JVAT 504G) दिनांक 31, दिसम्बर, 2012 तक मान्य होंगे। पूर्व में Manually निर्गत रोड परमिट (JVAT 504G), 1, जनवरी, 2013 से स्वीकार्य नही होंगे।

3. झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 42 (11) के अधीन निर्गत विभागीय पत्रांक 632 दिनांक 27.02.2012 के अन्तर्गत अनुज्ञापत्रों से छूट की प्रकिया से अनुज्ञापत्र JVAT 504G की विमुक्ति को समाप्त किया जाता है। संबंधित व्यवसायी उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अधीन JVAT 504G का ऑनलाईन निर्गमन करेंगे।

उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त समय–समय पर संबंधित अधिनियम/नियमावली/सॉफ्टवेयर में संशोधन के आलोक में विहित प्रावधानों में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा।

विश्वासभाजन

29.11.12

(मस्त राम मीणा)
सचिव–सह–आयुक्त।